

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.11(01)प्रशि/पॉलिसी/2021/6040

दिनांक:- 22/06/2021

स्थाई आदेश संख्या-23/2021

स्थाई आदेश संख्या-15/2014 दिनांक 11.08.2014 द्वारा राजस्थान पुलिस (सामान्य ड्यूटी) के सीधी भर्ती से नव नियुक्त रिफ्रूट कानिस्टेबल के लिए जारी किए गए प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधिक्रमण में 09 माह (36 सप्ताह) अवधि का संलग्न नवीन प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी किया जाता है।

संलग्न:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।



(एम. एल. लाठर)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ।
9. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
10. कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/ खैरवाड़ा/ झालावाड़/ अलवर/ भरतपुर/ बीकानेर/ पीएमडीएस, बीकानेर/ पीसीटीएस, जोधपुर।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
कानिस्टेबल (रिफ्रूट) प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1	प्रशिक्षण अवधि	270 दिन (09 माह / 36 सप्ताह)
2	रविवार एवं राजपत्रित अवकाश	72 दिन
3	शून्य सप्ताह (Zero week)	05 दिन
4	मध्यावधि परीक्षा / फायरिंग	06 दिन
5	मध्यावधि अवकाश	06 दिन
6	जंगल कैम्प	06 दिन
7	अंतिम परीक्षा व पी.ओ.पी.	15 दिन
8	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिन	160 दिन
9	कार्य दिवस - प्रति सप्ताह (राजपत्रित अवकाश के अलावा)	06 दिवस
10	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश (कालांश अवधि - 40 मिनट)	1600
	अ इण्डोर प्रशिक्षण के लिए कालांश (प्रतिदिन 05)	160X5=800
	ब आउटडोर प्रशिक्षण लिए कालांश (प्रतिदिन 04)	160X4=640
	खेल कालांश (सप्ताह में प्रथम 3 दिन सांयकाल)	80X1=80
	विशिष्ट अभिरुचि (सप्ताह में अंतिम 3 दिन सांयकाल)	80X1=80
	स कुल आउटडोर कालांश	640+160=800
कुल इण्डोर व आउटडोर कालांश		800+800=1600

नोट :- प्रशिक्षण कार्यक्रम 270 दिवस का होगा। इस अवधि में अनुमानित के अलावा राजपत्रित अवकाश अथवा कानून व्यवस्था ड्यूटी आने पर तदनुसार उतने दिन की प्रशिक्षण समयावधि बढ़ाई जाएगी।

इण्डोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
I	भारतीय संविधान, मानवाधिकार, आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन	100	100
II	वृहद् अधिनियम, स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	150	150
III	पुलिस कार्य प्रणाली – पुलिस थाना एवं पुलिस लाईन्स	150	150
IV	सेवा नियम एवं व्यक्तित्व विकास	50	50
V	कानून व्यवस्था	100	100
VI	कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली	250	150
	विशिष्ट अभिरूचि – सभी प्रशिक्षणार्थियों को किसी एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र का चयन करना होगा, जिसमें वे विशेषज्ञता हासिल करेंगे व इनके द्वारा अर्जित विशेष योग्यता एवं दक्षता का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (30 अंक) एवं व्यावहारिक कार्य मूल्यांकन (20 अंक) द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इनके कालांश सांयकाल में होंगे। (परिशिष्ट – 3)	—	50
	प्रधानाचार्य/सहायक निदेशक/कमाण्डेंट द्वारा आंतरिक मूल्यांकन	—	50
	कुल	800	800

आउटडोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
I	शारीरिक प्रशिक्षण	180	100
II	ड्रिल	190	100
III	शस्त्र प्रशिक्षण एवं मस्केट्री	140	100
IV	पुलिस विषय (बलवा परेड, भीड़ नियंत्रण व अन्य)	65	50
V	फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिस	65	50
	कुल	640	400

प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. इण्डोर व आउटडोर में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जायेगा। परीक्षार्थी के स्वयं के प्रार्थनापत्र पर संस्था – प्रधान द्वारा अनुशंसा किये जाने पर प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा, उपयुक्त प्रकरण पाये जाने पर उपस्थिति में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
2. प्रत्येक माह के अन्त में इण्डोर/आउटडोर के समस्त विषयों का कोर्स प्रभारी/कक्षा प्रभारी/स्क्वॉड प्रभारी द्वारा मासिक टेस्ट लिया जावेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र 10 अंक का होगा। इस मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मध्यावधि परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. प्रशिक्षण के मध्य (इण्डोर/आउटडोर विषयों का आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर) प्रत्येक विषय की मध्यावधि परीक्षा होगी।
2. मध्यावधि परीक्षा संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी।
3. मध्यावधि परीक्षा में इण्डोर विषय का प्रत्येक प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
4. मध्यावधि परीक्षा में अंतिम परीक्षा के लिए निर्धारित पूर्णांक व पद्धति के अनुरूप ही प्रश्नपत्र होंगे।
5. परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा।

अन्तिम परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. अन्तिम परीक्षा में इण्डोर विषय का प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
2. अन्तिम परीक्षा में आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इण्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 45 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
3. मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के 20 प्रतिशत व अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांकों के 80 प्रतिशत व आन्तरिक मूल्यांकन के अंको को सम्मिलित किया जाकर अन्तिम परिणाम तैयार किया जायेगा।
4. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इण्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्णांकों के योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।



5. प्रश्नपत्र VI (कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली) के पूर्णांक के 50 प्रतिशत अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा व 50 प्रतिशत अंकों की व्यवहारिक परीक्षा ली जायेगी।
6. मस्केट्री एव फायरिंग को छोड़कर समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षाएँ बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
7. अन्तिम परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा। अंतिम परीक्षा के बोर्ड का अध्यक्ष, चयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहीं होगा।
8. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-
 1. महानिरीक्षक पुलिस अध्यक्ष
 2. पुलिस अधीक्षक सदस्य
 3. कमाण्डेण्ट/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव
6. आन्तरिक मुल्यांकन प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों में रूचि व भागीदारी एवं अनुशासन के आधार पर किया जायेगा।
7. अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर
8. परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।



इण्डोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र - I

भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन

कालांश - 100, पूर्णांक - 100

अ - भारतीय संविधान

(कालांश - 15, अंक - 15)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मूल अधिकार	4
2	पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनुच्छेद 33)	4
3	मूल कर्तव्य	4
4	अनुच्छेद 311	3

ब - मानवाधिकार

(कालांश - 15, अंक - 15)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मानवाधिकार की अवधारणा और इसका महत्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम - 1993 (केन्द्र एवं राज्य) सामान्य जानकारी - धारा-12,13,14,17,18 मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	7
2	विभिन्न आयोग <ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग ● राष्ट्रीय एवं राज्य अल्पसंख्यक आयोग ● राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ● राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ● राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग ● राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ● राष्ट्रीय दिव्यांग जन आयोग 	8

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एवं मानवाधिकार संरक्षण	4
2	पुलिस अवधारणा <ul style="list-style-type: none"> ● सेवा - उन्मुखी दृष्टिकोण ● व्यवसायिकता एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय ● पुलिस जनता संबंध ● राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता व पुलिस ध्येय ● पुलिस प्राथमिकताएं 	4
3	आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां	4
4	सामाजिक बुराइयां और उनके निवारण में पुलिस की भूमिका	3
5	जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के साथ पुलिस के सम्बन्ध	3
6	न्यायालयों का परिचय <ul style="list-style-type: none"> ● सर्वोच्च न्यायालय ● उच्च न्यायालय ● अधीनस्थ न्यायालय 	4
7	राज्य अभियोजन विभाग	3

द - पुलिस संगठन

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास	5
2	केन्द्रीय पुलिस संगठन <ul style="list-style-type: none"> ● सीआरपीएफ ● बीएसएफ 	12

	<ul style="list-style-type: none"> ● आईटीबीपी ● सीआईएसएफ ● आरपीएफ ● आईबी ● सीबीआई ● एसएसबी 	
3	<p>राज्य पुलिस का संगठन</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस मुख्यालय ● रेंज कार्यालय ● पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्त कार्यालय, पुलिस थाना (परिचयात्मक अध्ययन) ● सीआईडी (सीबी) ● सीआईडी (एसएसबी) ● राजस्थान सशस्त्र दल (आर.ए.सी./एम.बी.सी.) ● राजकीय रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी.) ● एन्टी टैररिस्ट स्कवॉड (ए.टी.एस.) ● स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ● राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.) ● एस.डी.आर.एफ. ● पुलिस दूरसंचार 	12
4	राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली	6
5	<p>निम्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ● विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) ● गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा ● जेल प्रशासन ● अग्निशमन सेवा 	6
6	<ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस के रैंक एवं बैजेज ● अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगाने वाले झण्डे, तारे एवं चिन्ह 	4

प्रश्न पत्र – II

वृहद् अधिनियम, स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

कालांश – 150, पूर्णांक – 150

अ – भारतीय दण्ड संहिता

(कालांश – 60, अंक – 60)

क्रम सं.	शीर्षक	धारा	कालांश
1	सामान्य स्पष्टीकरण	21, 34	4
2	दण्ड	75	2
3	सामान्य अपवाद	76–95, 96–99, 100–103, 105, 106	5
4	दुष्प्रेरण	107–109	3
5	आपराधिक षडयंत्र	120क, 120ख	2
6	राज्य के विरुद्ध अपराध	121, 124क	2
7	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध	141–149, 153क, 159, 160, 283	5
8	मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध	186, 191–193, 201, 211, 212, 223, 224, 225	5
9	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने अपराध	279, 292–294	5
10	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	299, 300, 302, 304, 304क, 304ख, 306–309, 319, 320, 323–328, 332–333, 336–309, 319, 320, 323–328, 332–333, 336–338, 339–342, 353, 354, 359–366, 366क, 375, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 377	10
11	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध	378–384, 390–399, 401, 402, 411, 419, 420, 425, 427, 441–448, 451, 452, 454, 457–460	8
12	पति व उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता	498ए	2
13	अपराधों को करने का प्रयत्न	509–511	2
14	भारतीय दण्ड संहिता में नवीनतम संशोधन		5

क्रम सं.	शीर्षक	धारा	कालांश
1	परिभाषाएं	2 (क), (ग), (घ), (छ), (ज), (ठ), (ण), (ब), (भ)	3
2	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता	36-40	3
3	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	41-60, 60क	4
4	सम्मन	61-69	3
5	वारन्ट एवं उद्घोषणा	70-83	3
6	चीजें पेश करने के लिये सम्मन, तलाशी वारन्ट एवं तलाशी सम्बन्धी सामान्य प्रावधान	91, 97, 98, 100, 102	4
7	परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	106-110	3
8	लोक व्यवस्था बनाए रखना	129, 130, 132, 133, 144, 145	4
9	पुलिस के निवारक कार्य	149, 150, 151	4
10	पुलिस को सूचना एवं उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां	154-156, 174, 176	4
11	जमानत के बारे में उपबन्ध	436-438	3
12	दण्ड प्रक्रिया संहिता में नवीनतम संशोधन		2

क्रम सं.	शीर्षक	धारा	कालांश
1	परिभाषा	3 (तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य, साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ)	4
2	मृत्युकालिक घोषणा	32 (1), आर.पी.आर. 1965 नियम 6.22	4
3	विशेषज्ञ की राय	45	3
4	प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य	61, 62, 63, 65	4

क्रम सं.	शीर्षक	धारा	कालांश
1	मोटर वाहन अधिनियम 1988 मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019	2-5, 39, 66, 119, 133, 134, 146, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 190, 192, 194, 196, 201, 202, 204, 206, 207	2
2	नॉइज कन्ट्रोल एक्ट	2-6, 8	2
3	राजस्थान धुम्रपान निषेध अधिनियम	7/11, 9/11	2
4	आयुध अधिनियम 1959	2, 3/25, 4/25, 39	2
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908	2, 4	2
6	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884	4घ, 6क, 13	2
7	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	3, 4	2
8	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972	2, 51-55	2
9	राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950	16/54, 19/54	2
10	राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949	3, 4, 5, 13	2
11	राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007	धारा 2, 29-41, 43, 55, 60, 61, 62	2
12	राजस्थान वन अधिनियम 1953	33, 52-54, 64, 66	2
13	बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012	3-12, 19, 21, 23, 24, 27	2
14	किशोर न्याय अधिनियम 2015	प्रमुख प्रावधान	2
15	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984	2 (क), 3, 4, 5	2
16	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951	प्रमुख प्रावधान	2
17	लोकसेवा गारण्टी अधिनियम 2012	प्रमुख प्रावधान	2
18	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013	प्रमुख प्रावधान	1

प्रश्नपत्र – III

पुलिस कार्यप्रणाली – पुलिस थाना एवं पुलिस लाईन्स

कालांश – 150, पूर्णांक – 150

अ – पुलिस थाना

(कालांश 100, अंक 100)

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	पुलिस स्टेशन पर संतरी ड्यूटी (आरपीआर 1948 नियम 202, 203) : (क) संतरी के कर्तव्य और थाने पर आने वाले व्यक्तियों के साथ सदाचार (ख) गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार (डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले के निर्णय के सन्दर्भ में) एवं पुलिस हिरासत में मृत्यु के कारण व निवारण के उपाय (ग) पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों के प्रति बरती जाने वाली सावधानियां (घ) व्यवहारिक प्रदर्शन	2 2 1 1
2.	दूरसंचार : (क) पुलिस दूरसंचार प्रणाली – परिचय एवं वायरलैस ड्यूटी (ख) रेडियो टेलिफोनी (कॉल साईन, प्रक्रिया, उपकरण) – डेमो एवं प्रायोगिक दूरसंचार संदेश लेखन (ग) कंट्रोलरूम एवं पुलिस मोबाईल (घ) संचार के आधुनिक तरीके (ङ) व्यवहारिक प्रदर्शन	2 2 2 1 1
3.	साधारण जांच : (क) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (ख) निवास स्थान सत्यापन (ग) पासपोर्ट सत्यापन (घ) हथियार लाइसेंस सत्यापन (ङ) परिवाद की जांच कर रिपोर्ट तैयार करना	2 2 2 2 2
4.	न्यायिक कर्तव्य : (क) न्यायालयों का परिचय (ख) साक्ष्य देने की प्रक्रिया (ग) न्यायालय सहायक के कार्य	2 2 1

	(घ) न्यायालय भ्रमण व न्यायालय के कार्य का व्यवहारिक ज्ञान	1
	(ङ) न्यायालय की अवमानना	1
	(च) एकत्रित किये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में रोजनामचा आम में प्रविष्टियां	2
5.	अपराध रिकॉर्ड का संधारण :	
	(क) रोजनामचा आम संधारण एवं लेखन से सम्बन्धी सामान्य नियम – आरपीआर 1948 का नियम 279, आरपीआर 1965 का नियम 3.38, 3.39, 3.40, 3.41	2
	(ख) ग्राम अपराध पुस्तिका का संधारण	2
	(ग) पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड/ फार्म/रजिस्टर और उनमें इन्द्राज करना – आरपीआर 1965 का नियम 3.35	2
	(घ) रिकॉर्ड संधारण का व्यवहारिक ज्ञान	1
	(ङ) पुलिस थाने का भ्रमण, थानों पर रिकॉर्ड संधारण एवं कानिस्टेबल ड्यूटी का व्यवहारिक ज्ञान	1
6.	अंगुल चिन्ह :	
	(क) बनावट, वर्गीकरण तथा विशेषताएं	2
	(ख) अंगुल चिन्हों को विकसित करने की विधियां	2
	(ग) अंगुल चिन्हों के प्रादर्शों की पैकिंग, लेबल लगाना व ले जाना – आरपीआर 1948 नियम 415, 416, 1, 418, 420	2
	(घ) घटनास्थल से चांसप्रिंट की खोज व विकसित करके उठाना (Practical)	2
7.	पद चिन्ह :	
	(क) घटनास्थल से पद चिन्ह उठाने के तरीके – आर. पी. आर. 1965 नियम 6.26	2
	(ख) पद चिन्हों का वर्गीकरण	1
	(ग) पद चिन्हों को सुरक्षित रखना, पैकिंग और भेजना (Practical)	1
8.	महिला डेस्क : सामान्य कार्य एवं रजिस्टर संधारण	1
9.	घटनास्थल :	
	(क) घटनास्थल की सुरक्षा एवं अपराध अनुसंधान में इसका महत्व	1
	(ख) छद्म घटनास्थल का आयोजन एवं साक्ष्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी	1
	(ग) साक्ष्य का संकलन एवं साक्ष्य की अभिरक्षा की श्रृंखला का महत्व	1
	(घ) घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी (Practical)	1

10.	बीट प्रणाली : (क) बीट प्रणाली का परिचय – आरपीआर 1965 नियम 2.28 (ख) अपराधों की रोकथाम में बीट प्रणाली का महत्व (ग) बीट ड्यूटी – दिन एवं रात्रि में, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में (घ) बीट बुक की जानकारी एवं संधारण (ङ) बीट कानिस्टेबल का समुदाय के विभिन्न वर्गों, विभागों एवं स्थानों से समन्वय व सूचनाओं का आदान – प्रदान (च) हिस्ट्रीशीटर, गुण्डा, अभ्यस्त अपराधियों व नकबजनों की गतिविधियों पर निगरानी (छ) संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'अ' व 'ब' भरना (ज) बीट का भ्रमण, रात्रि विश्राम एवं कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान	2 2 2 2 2 2 1 2
11.	आसूचना संकलन : (क) आसूचना का अर्थ एवं प्रकार (ख) आसूचना संग्रहण के सामान्य सिद्धान्त (ग) आसूचना के संग्रहण में ध्यान रखने योग्य बातें (घ) आसूचना का व्यवहारिक ज्ञान	2 2 1 1
12.	सम्मन/वारन्ट की तामील प्रक्रिया	2
13.	प्रतिवेदन लेखन (Report writing) : (क) प्रतिवेदन लेखन के सामान्य सिद्धान्त (ख) थाने पर दैनिक कार्यों में पत्र लेखन (ग) नक्शे तैयार करना (घ) घटना एवं दृश्यों को देखकर प्रतिवेदन लेखन	2 2 2 2
14.	कार्यस्थल पर सरकारी सामान का रख – रखाव (क) सरकारी सामान रजिस्टर का संधारण (ख) सरकारी सामान का रखरखाव	1 1
15.	सामुदायिक पुलिसिंग : (क) सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा (ख) जनता व पुलिस के बीच समन्वय में सामुदायिक पुलिसिंग का महत्व (ग) सामुदायिक सम्पर्क समूह (CLG) का गठन एवं भूमिका	1 1 1

	(घ) अपराधों की रोकथाम में सी. एल. जी. का महत्व	1
	(ङ) सी. एल. जी. सदस्यों के साथ संवाद	1
16.	जनता के साथ पुलिस का व्यवहार :	
	(क) सामान्य शिष्टाचार एवं आचरण	1
	(ख) थाने पर आने वाले/सूचना प्रेषित करने वाले पीड़ित/परिवादी से व्यवहार	1
	(ग) बीट ड्यूटी के समय नागरिकों के साथ व्यवहार	1
	(घ) मेले, उत्सव, त्यौहार एवं सार्वजनिक आयोजनों के समय व्यवहार	1

ब – पुलिस लाईन्स

(कालांश – 50, अंक – 50)

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाओं की जानकारी	3
2.	ट्रेजरी गार्ड एवं अन्य गार्ड ड्यूटी में संतरी के कर्तव्य : आरपीआर 1948 के नियम 143, 146, 147, 150, 152 से 162, 165 से 170	4
3.	एस्कोर्ट एवं चालानी गार्ड ड्यूटी :	
	(क) बंदी को कोर्ट/जेल ले जाने के दौरान आरक्षी की एस्कोर्ट ड्यूटी	5
	(ख) बंदी की देखभाल	5
	(ग) अस्पताल गार्ड ड्यूटी के दौरान संतरी के कर्तव्य (आरपीआर 1948 के नियम 173, 174, 177)	5
	(घ) बैंक से नगदी एवं मूल्यवान कोष की एस्कोर्ट के दौरान आरक्षी की ड्यूटी	5
	(ङ) ट्रेन/बस में एस्कोर्ट ड्यूटी	2
	(च) एस्कोर्ट ड्यूटी का व्यवहारिक ज्ञान	2
4.	पुलिस की अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा :	
	(क) बंदी का सुरक्षित अभिरक्षण एवं एस्कोर्ट पार्टी की जबाबदेही	4
	(ख) आरपीआर 1948 के नियम 178, 179	4
	(ग) अभिरक्षा में से भागने से रोकने के उपाय	4
	(घ) अभिरक्षा से बंदी के फरार होने पर एस्कोर्ट पार्टी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	4
5.	कमाण्ड सर्टिफिकेट और उसका उपयोग	3

प्रश्न पत्र – IV

सेवा नियम एवं व्यक्तित्व विकास

कालांश – 50, पूर्णांक – 50

अ – सेवा नियम

(कालांश – 30, अंक – 30)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	सेवा सम्बन्धी – वर्दी, विभिन्न उपकरण, शस्त्र एवं गोला – बारूद, अनुशासन, पुरस्कार, दण्ड, पदोन्नति एवं अवकाश, कल्याणकारी उपाय, शिकायतों के निवारण सम्बन्धी प्रावधान	5
2	राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 (नियम 4, 4ए, 7, 9, 18, 21, 26)	4
3	राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 (नियम 13, 14, 15, 16, 17, 19)	4
4	राजस्थान सेवा नियम – नियम 86	1
5	राजस्थान पुलिस नियम 1948 (महत्वपूर्ण नियम)	4
6	राजस्थान पुलिस नियम 1965 (महत्वपूर्ण नियम)	4
7	राजस्थान पुलिस नियम 2008 नियम 7, 8, 9, 12, 13, 14	4
8	वित्तीय जानकारी (क) लेखा सम्बन्धी नियमों की सामान्य जानकारी यथा T.A., मेडिकल बिल (ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना, ग्रुप इन्श्योरेन्स, मेडिकल इन्श्योरेन्स, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि (RPBF) (ग) पुलिस छात्रवृत्ति योजना व अन्य निजी संस्थाओं की छात्रवृत्ति योजनाएं (घ) विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP)	4

ब – व्यक्तित्व विकास

(कालांश – 20, अंक – 20)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	सम्प्रेक्षण दक्षता – मौखिक एवं लिखित सम्प्रेषण	4
2	नेतृत्व क्षमता एवं टीम भावना	4
3	व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	4
4	तनाव प्रबन्धन एवं समय प्रबन्धन	4
5	नैतिकता एवं पुलिस छवि	4

प्रश्न पत्र – V

कानून व्यवस्था

कालांश – 100, पूर्णांक – 100

अ – कानून व्यवस्था ड्यूटी

(कालांश – 60, अंक – 60)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	गश्त : (क) गश्त का महत्व (ख) गश्त के सामान्य सिद्धान्त (ग) गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें (घ) गश्त का व्यवहारिक ज्ञान	2 3 3 2
2	दबिश, घेराबन्दी व तलाशी : (क) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी का अर्थ व सामान्य सिद्धान्त (ख) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें (ग) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी का व्यवहारिक प्रदर्शन	4 2 2
3	नाकाबन्दी : (क) नाकाबन्दी के सामान्य सिद्धान्त (ख) नाकाबन्दी के लिए आवश्यक संसाधन एवं तैयारी (ग) नाकाबन्दी का संचालन एवं ध्यान रखने योग्य बातें (घ) स्थाई पिकेट पर चैकिंग (ङ) नाकाबन्दी का व्यवहारिक प्रदर्शन	3 3 2 2 2
4	भीड़ नियंत्रण : (क) भीड़ के प्रकार (ख) भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना (ग) भीड़ की मंशा का पता लगाना (घ) विभिन्न प्रकार की भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता – विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के साथ (ङ) भीड़ नियंत्रण के विभिन्न तरीके (य) भीड़ नियंत्रण का व्यवहारिक प्रदर्शन	3 3 3 2 2 2
5	निगरानी एवं अवलोकन : (क) निगरानी की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व (ख) निगरानी क्यों व किसकी	3 3

(ग) निगरानी में रखी जाने वाली सावधानियां	3
(घ) अवलोकन का अर्थ एवं महत्व	3
(ङ) अवलोकन के तरीके एवं ध्यान रखने योग्य बिन्दु	3

ब – यातायात नियमन

(कालांश – 20, अंक – 20)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	यातायात नियमन :	
	(क) यातायात नियमन का परिचय	4
	(ख) यातायात नियंत्रण उपकरण एवं यातायात संकेतक	4
	(ग) इन्टर सेक्टर, ब्रेथ एनेलाइजर की जानकारी	2
	(घ) यातायात ड्यूटी के दौरान आचरण	2
	(ङ) चौराहों पर यातायात नियमन	2
	(च) दुर्घटना स्थलों की सुरक्षा, न्यायिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जैसे – रिकड मार्क्स	2
	(छ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों का प्राथमिक उपचार एवं उन्हें अस्पताल पहुंचाना	2
	(ज) यातायात जाम के दौरान ड्यूटी	1
	(झ) यातायात नियंत्रण का व्यवहारिक प्रशिक्षण	1

स – आपदा प्रबन्धन

(कालांश – 20, अंक – 20)

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	आपदा प्रबन्धन :	
	(क) आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका	4
	(ख) बचाव एवं राहत : प्राकृतिक आपदा जैसे – बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे – सूखा, तूफान, आगजनी की घटनाएं एवं गम्भीर दुर्घटनाएं	6
	(ग) आपदा पीड़ित की प्राथमिक चिकित्सा	5
	(घ) प्राथमिक चिकित्सा का व्यवहारिक प्रदर्शन	5

प्रश्नपत्र – VI

कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली

कालांश – 250, पूर्णांक – 150

Module A :- Basic Knowledge of Computer (कालांश 100, पूर्णांक 50)

1. Basic Idea of Digital devices

- Introduction to various types of Computers, Scanners, Printers & peripherals, storage devices, CCTV surveillance and other digital equipment used in Information Technology and communications.
- Mobile Phones, Mobile tracking, Use of Cellphone data in Investigation
- Networking Basics, Concept of LAN and WAN

2. Basic idea of popular operating systems:


- Windows
- Linux (Ubuntu, Centos, RedHat etc.)
- Apple Macintosh (macOS)
- Mobile OS:-Basic Idea of Android, Windows Phone , Apple iOS etc.
- Popular Web Browsing Software and their configuration

3. **Common Terms in Computer and Network security**

- Virus Threats
- Spyware Threats
- Hackers
- Phishing Threats
- BOTs
- Denial of service
- DDOS attack

4. **Various applications used in Rajasthan police :**

- Citizen Services
- RAJASTHAN POLICE WEB PORTAL



- CHILD TRACKING WEBPORTAL
- ADVANCED ANALYTICS
- RAJKAJ
- LITES
- Pay manager
- Dreams
- SSO Portal
- Sampark Portal
- NAFIS

5. Mobile App used in Rajasthan Police:

- RAJCOP including Communication Platform email (Rajmail), Instant Messenger (sandesh wahak), Digital Radio (Police Radio)
- RAJCOP CITIZEN
- ERSS-112
- SENIOR CITIZEN
- RajLMS
- Advance Analytics

6. Wireless and Mobile Communication:

- VHF and UHF communication used in Rajasthan Police
- Basic concept of Radio Trunking System
- Basic concept of Digital Mobile Radios(DMR) Tear II, Tear III etc
- Introduction to cellular mobile communication, concept of MSC and BTS
- Generations of cellular network i.e. 2G, 3G ,4G, and 5G Technology

7. Role as First responder & handling digital devices

Module B :- CCTNS System


(कालांश 150, पूर्णांक 100)

1. CCTNS - Crime and Criminal Tracking Network & Systems



Knowledge of Integrated Investigation Forms (IIF), Rojnamcha Aam (General Diary), Case Diary and Crime Digest in CCTNS.

- IIF1 First Information Report
 - IIF2 Crime Detail Form (Naksha Mauka etc.)
 - IIF3 Arrest/ Surrender Form
 - IIF4 Property Search and Seizure Form
 - IIF5 Final Report Form (FR/Chargesheet)
 - IIF6 Court Disposal Form
 - IIF7 Appeal Form
2. **ICJS: Interoperable Criminal Justice System**
 3. **Typing Practice & Data entry**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'L' or a similar symbol, located to the right of the list items.

आउटडोर विषय
रिक्रूट कानिस्टेबल प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र-I "अ" शारीरिक प्रशिक्षण - पुरुष

क्र.सं.	विषय	कालांश-180	अंक-100
1	i <u>केनेडियन पीटी :-</u>	16	10
	5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक	16	10
	ii आर.टी.सी. (फ्रीहैण्ड) पी.टी. चार्ट न0 1 से 6		
2	योगासन -	12	05
3	ग्राउण्ड वर्क	15	05
4	तीनों दर्जे के रस्सों पर प्रशिक्षण	15	10
5	घोड़ा (आड़ा व लम्बा) ऊंचाई:-107 सेंटीमीटर	15	10
6	वॉक एण्ड रन-10 किमी 45,50,55 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	26	10
7	बीम पर कार्य चिनअप अण्डरग्रिप-6 ओवर ग्रिप-4	15	10
8	असाल्ट-रूकावटें पार करना	18	10
9	ऊँची (3-5') तथा लम्बी (12-15') कूदें	15	10
10	यू.ए.सी- Holds, Release, Kicks, falls , Punches, Karate, Throws	17	10
11	खेल नियमित	-	-
12	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 10 किमी.रूट मार्च करवाया जाएगा।	-	-

"ब" शारीरिक प्रशिक्षण-महिला

क्र.सं.	विषय	कालांश-180	अंक-100
1	i <u>केनेडियन पीटी :-</u>	16	10
	5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 4 तक	16	10
	ii आर.टी.सी. (फ्री हैण्ड) पी.टी. चार्ट न0 1 से 6 तक		
2	योगासन -	12	05
3	ग्राउण्ड वर्क-गद्दे पर प्रशिक्षण	15	05
4	रस्सों पर प्रशिक्षण केवल तीसरा दर्जा	15	10
5	घोड़ा आड़ा	15	10
6	वॉक एण्ड रन-05 किमी 30,32,35 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	26	10
7	बीम पर बैलेन्स बनाकर चलना	15	10
8	असॉल्ट- कमाण्डो ऑब्स्टेकल व 9' दीवार के अलावा	18	10
9	ऊँची कूद (2.5,3,3.5) तथा लम्बी कूद (10,11,12)	15	10
10	यू.ए.सी-Holds, Release, Kicks, Punches	17	10
11	खेल नियमित	-	-
12	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 10 किमी. रूट मार्च करवाया जाएगा।	-	-

प्रश्नपत्र-II

ड्रिल

क्र.सं.	विषय	कालांश-190	अंक-100
1	खाली हाथ ड्रिल	50	20
2	हथियार संहिता ड्रिल	50	20
3	राईफल एक्सरसाईज (7.62 एमएम एस एल आर व 5.56 राईफल से)	20	15
4	केन ड्रिल	08	05
5	गार्ड ड्यूटीज	16	10
6	यातायात	08	02
7	सेरेमोनियल ड्रिल	17	11
8	कम्पनी ड्रिल एवं प्लाटून ड्रिल	10	05
9	सम्मान गार्ड	07	05
10	अन्त्येष्टि कवायद	04	02
11	टर्न आउट	00	05

प्रश्नपत्र-III

हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री

क्र.सं.	विषय	कालांश-140	अंक-100
1	5.56 एमएम इन्सास	20	06
2	राईफल 7.62 एसएलआर	24	03
3	एलएमजी-5.56/7.62 एमएम	20	04
4	9 एमएम कारबाईन मशीन	08	04
5	12 बोर पम्प एक्शन गन	06	02
6	एके 47 एवं एके 56 राईफल	14	04
7	प्रोजेक्टर पायरो टैक्नीक, पी.पी.टी.एच नाईट विजन डिवाइस का सामान्य परिचय	05	04
8	ग्लोक पिस्टल	02	04
9	9 एम.एम. पिस्टल	12	04
10	विस्फोटक व बम डिस्पोजल (आई.ई.डी, डेटोनेटर, सेप्टी फ्यूज तथा विस्फोटक को इस्तेमाल करना)	04	05
11	फायरिंग व मस्केट्री	25	60

प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास होगा

- 12 वें सप्ताह में 10 राउण्ड 7.62 एम.एम एस.एल.आर.राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर) एवं 5 ऐप्लीकेशन प्रैक्टिस (पोजीशन लेटकर)। टारगेट 4x4 रेंज 100 गज।
- (i) 18 वें सप्ताह में 15 राउण्ड 7.62 एम.एम, एस.एल.आर राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर) 5 ऐप्लीकेशन (पोजीशन नीलिंग) एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रैक्टिस (पोजीशन स्टैंडिंग) तथा 15 राउण्ड 5.56 इन्सास राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर), 5 ऐप्लीकेशन (पोजीशन नीलिंग) एवं 5 स्नैप शूटिंग प्रैक्टिस (पोजीशन स्टैंडिंग)। टारगेट 4x4 रेन्ज 100 गज। स्नैप शूटिंग रेंज-200 गज
(ii) पम्प एक्शन गन राउण्ड 04 टारगेट 4x4 रेन्ज 50 गज।
- (i) 24 वें सप्ताह में ए.के.-47/56 राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर), 5 ऐप्लीकेशन (पोजीशन नीलिंग) तथा 5.56 इन्सास राईफल से 5 ग्रुपिंग (पोजीशन लेटकर), 5 ऐप्लीकेशन प्रैक्टिस (पोजीशन स्टैंडिंग)। टारगेट 11" रेन्ज 100 गज।

- (ii) पम्प एक्शन गन राउण्ड 04 टारगेट 4X4 रेन्ज 50 गज।
4. 24 वें सप्ताह में अश्रु गैस सैल (इलैक्ट्रानिक व नॉन इलैक्ट्रानिक) का फायरिंग अभ्यास (प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा -02 नग इलैक्ट्रानिक सैल व 02 नग नॉन इलैक्ट्रानिक)

अंतिम परीक्षा फायरिंग :-

हथियार का नाम							राउण्ड	अंक
5.56 Insas RIFLE:- 5 राउण्ड गुपिंग, रेन्ज -100 गज टारगेट 4X4, अंक-10 (पोजीशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक-10 (नीलिंग पोजीशन) 5 राउण्ड स्नैप शूटिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट फिगर 22"-अंक 10 (स्टैंडिंग पोजीशन)							15	30
SLR 7.62 m.m. 5 राउण्ड गुपिंग, रेन्ज -100 गज टारगेट 4X4, अंक-10 (पोजीशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक-10 (नीलिंग पोजीशन) 5 राउण्ड स्नैप शूटिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट फिगर 22"-अंक 10 (स्टैंडिंग पोजीशन)							15	30
कुल इन्च में	2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12		
अंक	10	9	8	7	6	5		
ऐप्लीकेशन	बुल	इनर	मेगपाई	आउटर				
अंक	2	1 ¾	1 ½	1				
शूटिंग अंक- प्रत्येक 1 हिट गोली के 02 अंक								
कुल							30	60

प्रश्नपत्र-IV

पुलिस विषय

क्र.सं.	विषय	कालांश-65	अंक-50
1.	लाठी ड्रिल	10	10
2.	बलवा परेड, भीड़ नियंत्रण (अनियंत्रित भीड़ के समक्ष आत्म नियंत्रण, समझाइश के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके और बलवा परेड)	30	18
3.	एन्टी रॉईट गन, वॉटर केनन, वज्र, अश्रु गैस, गैस गन, गैस मास्क (पोली कार्बोनेट) प्लास्टिक ढाल, हैलमेट, केन, इलैक्ट्रानिक व नॉन इलैक्ट्रानिक की जानकारी।	10	10
4.	हैलमेट व बॉडी वार्म कैमरा की जानकारी	02	
5.	फायर फाइटिंग	03	05
6.	रैस्क्यू एवं साल्वेज	04	05
7.	बिगुल कॉल की जानकारी	04	02
8.	नये इक्वूपमेंट की जानकारी	02	-

प्रश्नपत्र-V

फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स

क्र.सं.	विषय	कालांश-65	अंक-50
1	फील्ड क्राफ्ट (कैमोपलाइज एवं कन्सीलमेन्ट)	08	04
2	ई.ओ.डी.	04	04
3	मैप रीडिंग एवं जीपीएस का व्यवहारिक ज्ञान	04	04
4	फील्ड टैक्टिक्स (सैक्शन फॉर्मेशन व चांस एन्काउटर)	05	04
5	एम्बुश/काउन्टर एम्बुश, पैट्रोलिंग	13	08
6	दस्यु उन्मूलन	04	02
7	घेराबन्दी, दबिश व तलाशी	10	10

8	नाकाबन्दी व टायर ब्रेकर की जानकारी	10	06
9	वी.आई.पी. सुरक्षा (प्रेक्टिकल) (अ) ऐन्टी सबोटेज चैक (ब) हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी (स) व्हीकल सर्च (द) समारोह स्थल की सुरक्षा	05	04
10	एस्कॉर्टिंग (कैश, आर्म्स एवं एम्युनेशन)	02	04

नोट:- मध्यावधि परीक्षा के 20 प्रतिशत अंक अंतिम परीक्षा में जोड़े जायेंगे।



विषय : विशिष्ट अभिरूचि

कालांश – 80, पूर्णांक – 50

क्रम संख्या	विशिष्ट कार्यक्षेत्र (विषय)
1	वाद – विवाद (डिबेट)
2	फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी
3	विधुत रख – रखाव एवं सेनेटरी कार्य
4	एथलेक्टिस
5	हॉकी
6	वॉलीबाल
7	बॉस्केटबाल

- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात स्थानीय बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा आयोजित कर प्रशिक्षणार्थी के द्वारा अर्जित विशेष योग्यता एवं दक्षता का मूल्यांकन किया जायेगा।
- क्रम संख्या 1 से 3 तक अंकित विषयों में 30 अंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 20 अंक व्यवहारिक कार्य के मूल्यांकन के लिये निर्धारित होंगे।
- क्रम संख्या 4 से 7 तक अंकित विषयों में प्रदर्शन के स्तर के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।



